पत्रांक 2285/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0– 01/विधि–अनुभाग/13–14/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः: देहरादूनः: 08 अगस्त, 2013

विज्ञप्ति

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 23(3) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 23(3) के अन्तर्गत, पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 1897/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–01/विधि–अनुभाग/13–14/ देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2013 को निरसित करते हुए निर्देशित किया जाता हैः–

1– कि किसी भी करनिर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी अवधि का प्ररूप–11 में घोषणा का प्रपत्र, सादा(blank) जारी नहीं किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी के यथा स्थान हस्ताक्षर रहित प्ररूप–11 मान्य नहीं होगा;

2– कि **प्ररूप–11, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत** प्रारूप–17(XI) में रियायती दर से क्रय के समस्त सम्व्यवहारों के विवरण (जो व्यापारी वार होगा और तीन प्रतियों में योग सहित दाखिल किया जायेगा) के आधार पर जारी किया जायेगा;

उक्त के होते हुए भी उ0 वन विकास निगम से टिम्बर क्रय करने की दशा में इनवाइस संख्या, दिनांक उपबन्ध न होने पर भी प्ररूप–11 जारी किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि व्यापारी, 'निगम' द्वारा जारी "विक्रय अनुमोदन पत्र" की छाया प्रति एवं इसी के आधार पर संलग्न प्रारूप 17(XI) के कॉलम 1 से 3 तथा 7 से 11 में वांछित विवरण अंकित करके, दोनों पर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा। कॉलम 12 में देय मण्डी शुल्क(वर्तमान में 2.5%) तथा तद्नुसार कॉलम 13 में राशि अंकित करेगा। वस्तु के विवरण संबधी कॉलम 7 में टिम्बर की प्रजाति व किस्म, अनुमोदन पत्र के अनुसार अंकित करना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में कॉलम 13 में अंकित राशि हेतु प्रपत्र जारी किया जायेगा। विक्रेता को प्रपत्र देने से पूर्व व्यापारी कॉलम 4, 5 व 6 संबंधी इन्द्राज इनवाइस के अनुसार स्वयं अंकित करेगा।

3– कि एक त्रैमास से अधिक अवधि की खरीद के लिए एक प्ररूप–11 जारी नहीं किया जायेगा। यदि कोई सम्व्यवहार इस प्रकार का है कि विक्रेता द्वारा बिक्री का बीजक एक त्रैमास में जारी किया गया हो परन्तु क्रेता व्यापारी को माल अगले त्रैमास में प्राप्त हुआ हो एवं ऐसे क्रय को अगले त्रैमास में account for किया गया हो तो ऐसे सम्व्यवहार के लिए अलग से प्रपत्र जारी किया जायेगा। किन्तु ऐसे मामले में, निर्धारित प्रारूप में विवरण अलग से प्राप्त किया जायेगा;

4— कि उक्त के होते हुए भी प्ररूप—11 की मांग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक देय सभी विवरणियॉं, देय कर अथवा अन्य देयों के जमा के सबूत प्रस्तुत करने के बाद ही प्ररूप—11 जारी किया जायेगा;

<u>कार्यालय प्रक्रिया</u>

वरिष्ठतम कर्मचारी द्वारा निम्न तथ्यों संबंधी रिपोर्ट करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी:—

(i) व्यापारी का मान्यता प्रमात्र पत्र प्रभावी है;

(ii) प्ररूप—11 हेतु देय फीस जमा है;

(iii) व्यापारी पर बकाया का विवरण;

(iv) प्ररूप—11 की मांग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक देय सभी विवरणियॉं, देय कर अथवा अन्य देयों के जमा के सबूत दाखिल हैं;

तत्पश्चात् करनिर्धारण अधिकारी समुचित परीक्षणोपरान्त प्रपत्र जारी करने का निर्णय लेंगे अन्यथा विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।

2— कर्मचारी द्वारा प्ररूप—11 में जारी करने की दि0, क्रेता एवं विक्रेता का नाम, टिन संख्या, प्रभावी दि0 मान्यता प्रमाण पत्र संख्या, प्रभावी दिनांक, कार्यालय का नाम तथा अन्य विवरण यथा स्थान अंकित किए जायेंगे। प्रपत्र के अग्र भाग में जहां "क्रय किये गये माल का विवरण" अंकित है वहां "अनुलग्नक के अनुसार" अथवा "as per annexure" की मुहर अंकित की जायेगी, परन्तु "माल के मूल्य का योग", अंकों एवं शब्दों में प्रारूप—17(XI) के कॉलम 6 के अनुसार अंकित किया जायेगा परन्तु 'निगम' से टिम्बर क्रय के मामले में मूल्य, प्रारूप—17(XI) के कॉलम 13 के अनुसार अंकित किया जायेगा। संबंधित प्रारूप—17(XI) की एक प्रति प्ररूप—11 की मूल प्रति के पृष्ठ भाग पर तथा एक प्रति प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर चस्पा की जाएगी। तीसरी प्रति पत्रावली पर रखी जाएगी। तीनों प्रतियों पर कर्मचारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर अंकित किए जायेंगे। तीसरी प्रति(कार्यालय प्रति) पर एवं प्रार्थना पत्र पर जारी किए गए प्रपत्र की संख्या अंकित की जायेगी।

करनिर्धारण अधिकारी, इन्द्राजों के परीक्षणोपरान्त इस प्रकार तैयार किए गए प्रपत्र में अंकित कुल राशि व प्रारूप—17(XI) की तीनों प्रतियों पर अंकित ऐसी राशि को गोलांकित कर यथा स्थान हस्ताक्षर करेंगे व नाम की मुहर लगवाऐंगे। प्रपत्र चस्पा वाले स्थान पर इस प्रकार हस्ताक्षर करेंगे कि हस्ताक्षर का आधा भाग प्रारूप—17(XI) पर तथा आधा भाग प्रपत्र पर आ जाय।

उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक—प्रारूप 17(XI)।

(सौजन्या)
आयुक्त कर।

पृ0प0सं0 2287 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।

3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

5– अपर आयुक्त कर, मुख्यालय देहरादून।

6– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

7– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

10– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11– श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0–3) देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।

12– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

13– आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

14– Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महराष्ट्र।

15–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

18– Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

19–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

20–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

21– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

22–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

23– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।

24– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।

25– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

26– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

27– शोध अनुभाग/स्थापना– अनुभाग मुख्यालय हेतु।

28– समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

/

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।

ANNEXURE -17 (XI)

STATE PURCHASE AGAINST FORM 'XI'

1- TIN of the Dealer

2- Name and Address of the Dealer

3-Period To

4-List of State Purchase against Form 'XI' -

Sl. No.	Name and address of the Selling Dealer	TIN of the Seller	Invoice no	Invoice Date	Value Before tax	Description of goods	Quantity or weight	Sl No. of Vikraya Anumodan Patra of UK Van Vikas Nigam	Date	Total Value as per "Vikraya Anumodan Patra" of UK Van Vikas Nigam	Mandi Shulk due on value at col. 11	Total (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Note : column 9 to 13 are to be filled only by such Timber Purchasers who require Form XI on the basis of **"Vikraya Anumodan Patra"** issued by UK Van Vikas Nigam.

Signature
(Authorised Signatory)
Status-